

राजस्थान सरकार
परिवहन विभाग

क्रमांक: एफ 7(418)(1)परि/नियम/मु./2011/ 3136

जयपुर, दिनांक: 18/6/2020

कार्यालय आदेश 15/2020

विषय:- केन्द्रीय मोटर यान नियम 1989 के नियम 104 के प्रावधानों की पालना हेतु।

राष्ट्र में बढ़ती हुई सड़क दुर्घटनाओं के दृष्टिगत रात्रि कालीन परिवहन को सुदृश्य बनाने हेतु केन्द्र सरकार द्वारा केन्द्रीय मोटर यान नियम 1989 के नियम 104 में व्यापक संशोधन किया जाकर अधिसूचना संख्या GSR 784 (E) दिनांक 12.11.2008 के माध्यम द्वारा समस्त परिवहन यानों में निर्धारित मानक एवं डिजाईन के रिफ्लेक्टिव टेप लगाया जाना अनिवार्य किया गया है।

इस क्रम में पूर्व में जारी विभागीय आदेशों यथा 2/2011, 03/2013, 14/2013 एवं 19/2014 द्वारा समस्त प्रादेशिक/जिला परिवहन अधिकारियों को विस्तृत दिशा-निर्देश प्रदान किए गए हैं लेकिन उपरोक्त आदेशों में दिये गये निर्देशों के उपरान्त भी ध्यान में आया है कि सार्वजनिक मार्गों पर संचालित अधिकतर वाहनों पर रेट्रो रिफ्लेक्टिव टेप या तो लगी ही नहीं है एवं लगी है तो निर्धारित मापदण्डों के अनुरूप नहीं लगी है जिससे मूल उद्देश्य की पूर्ति नहीं हो पा रही है। ऐसा प्रतीत होता है कि केन्द्र सरकार की अधिसूचना एवं विभागीय आदेशों की पालना नहीं की जाकर मात्र खानापूर्ति की जा रही है। अब पुनः विस्तृत दिशा-निर्देश जारी करते हुए निर्देशित किया जाता है कि निम्न निर्देशों की कड़ाई से अक्षरशः पालना किया जाना सुनिश्चित करें-

1. केन्द्रीय मोटर यान नियम, 1989 के नियम 104 के उप-नियम (1) के प्रावधानानुसार भिन्न-भिन्न यानों में लगाये जाने वाले रिफ्लेक्टिव टेप की लम्बाई, चौड़ाई, रंग एवं कन्टूर/डिजाईन संलग्न चित्रों में दर्शाए अनुसार लगाया जाना सुनिश्चित किया जावे। इसके अभाव में परिवहन यान को फिटनेस प्रमाण पत्र जारी नहीं किया जावे।
2. समस्त परिवहन वाहनों पर सामने की ओर सफेद रंग की एवं पीछे की ओर लाल रंग की परावर्ती टेप, वाहन की सम्पूर्ण चौड़ाई में लगाई जाएगी।

5

3. 3.5 टन से अधिक और 7.5 टन से कम सकल यान भार (GVW) के भार वाहनों पर लगाये जाने वाली टेप की न्यूनतम चौड़ाई 20 मिलीमीटर होगी।
4. 7.5 टन और इससे अधिक सकल यान भार (GVW) के भार वाहन (ट्रेलर/सेमीट्रेलर सहित) पर लगाये जाने वाली टेप की न्यूनतम चौड़ाई 50 मिलीमीटर होगी तथा वाहन के पीछे की ओर लगाये जाने वाली टेप कन्टूर मार्किंग के रूप में होगी अर्थात् वाहन के पिछले सम्पूर्ण भाग पर एक आउटलाइन के रूप में टेप लगाई जाएगी। (कन्टूर मार्किंग की डिजाइन AIS-090-2005 मानकों में उपलब्ध है।)
5. बैठक क्षमता 10 एवं अधिक के, 5 टन सकल यान भार से अधिक वजनी यात्री वाहनों के दोनों साईडों में भी, बॉडी की सम्पूर्ण लम्बाई की पीले रंग की परावर्ती टेप लगाई जाएगी।
6. उपरोक्तानुसार लगायी जाने वाली समस्त परावर्ती टेप AIS-090-2005 के उपबंध में 4, 5, व 6 के अनुरूप मानक की होगी एवं केन्द्रीय मोटर यान नियम, 1989, के नियम 126 में विनिर्दिष्ट जांच संस्थाओं में से किसी संस्था द्वारा जारी टाईप अप्रुवल सर्टिफिकेट एवं कन्फर्मेन्टी ऑफ प्रॉडक्शन सर्टिफिकेट (TAC & COP) धारक निर्माताओं द्वारा निर्मित होगी।
7. इस क्रम में CMVR, 1989 के नियम 126 में यथा विनिर्दिष्ट जांच अभिकरण, ARAI की वेबसाईट पर उपलब्ध सूचना एवं टेप निर्माताओं द्वारा प्रस्तुत TAC & COP के आधार पर निम्नांकित निर्माता कम्पनियों द्वारा निर्मित टेप निर्धारित AIS-090-2005 मानक की प्रमाणित की गयी है:-

(a) Avery Dennison (India) Pvt. Ltd.

(b) 3M India Ltd.

(c) M/s ORAFOL Europe GmbH (REFLEXITE or ORAFOL)

अतः केन्द्रीय जांच एजेन्सियों द्वारा TAC & COP धारक निर्माताओं द्वारा निर्मित रिफ्लेक्टिव टेप ही वाहनों पर लगाए जाएंगे।

8. निर्माता कम्पनियों द्वारा केन्द्रीय मोटर यान नियम, 1989, के नियम 104 (1) में यथा उल्लेखित प्रावधानों के अनुरूप निर्धारित लम्बाई, परिमाण एवं मानक की रिफ्लेक्टिव टेप, AIS-090-2005 द्वारा निर्धारित डिजाइन अनुसार ही लगाई गयी है, इसके प्रमाण स्वरूप निर्माता कम्पनी अथवा उसके अधिकृत डीलर द्वारा प्रत्येक वाहन हेतु एक फिटमेंट सर्टिफिकेट जारी किया जाएगा।
9. निर्माता कम्पनी द्वारा प्रत्येक जिले में नियुक्त किये जाने वाले डीलर्स, वाणिज्य कर विभाग द्वारा पंजीकृत (GST Registration Holder) होने आवश्यक होंगे।
10. उक्त फिटमेंट सर्टिफिकेट मय मुद्रित क्रमांक एवं कम्पनी के होलोग्राम सहित प्रत्येक वाहन हेतु जारी किया जाएगा, जिसमें वाहन का पंजीयन क्रमांक, वाहन का प्रकार,

5

चैसिस नम्बर, इंजन नम्बर आदि प्रविष्टियाँ सुपाठ्य अक्षरों/अंको में उल्लेखित की जाएगी। इसके साथ ही वाहन पर लगाई गयी टेप की लम्बाई, चौड़ाई एवं रंग आदि का सम्पूर्ण विवरण अंकित किया जाएगा।

11. फिटमेंट प्रमाण पत्र 3 प्रतियों में तैयार किया जाकर प्रथम प्रति संबंधित परिवहन कार्यालय, द्वितीय प्रति वाहन के साथ तथा तृतीय प्रति निर्माता कम्पनी के कार्यालय में संधारित की जाएगी जो विभागीय अधिकारियों द्वारा जांच हेतु मांगे जाने पर प्रस्तुत की जा सकेगी। किसी भी परिवहन यान के फिटनेस हेतु अधिकृत निजी फिटनेस सेन्टर पर निरीक्षण हेतु वाहन प्रस्तुत करने पर वाहन में रखी द्वितीय प्रति फिटनेस सेन्टर के स्तर पर देखते हुए उसकी एक फोटो प्रति फिटनेस सेन्टर पर रखी जाना सुनिश्चित करें।
12. निर्माता कम्पनी द्वारा विक्रय किये गये एवं लगाये गये रिफ्लेक्टिव टेप की मासिक सूचना संबंधित प्रादेशिक/जिला परिवहन अधिकारी को प्रस्तुत की जाएगी। समस्त प्रादेशिक परिवहन अधिकारी अपने क्षेत्राधिकार में प्रति माह निर्माता कम्पनी द्वारा विक्रय एवं लगाये गये रिफ्लेक्टिव टेप की मासिक सूचना मुख्यालय में प्रस्तुत करेंगे। सूचना में मुख्य रूप से वाहन संख्या, वाहन प्रकार एवं रिफ्लेक्टिव टेप की लम्बाई, चौड़ाई का वर्णन सम्मिलित किया जाएगा।
13. समस्त प्रादेशिक /जिला परिवहन अधिकारी अपने क्षेत्राधिकार में स्थित समस्त निजी फिटनेस सेन्टर्स को उक्त आदेश की प्रति उपलब्ध कराते हुए पालना सुनिश्चित कराएंगे।

उपरोक्तानुसार समस्त निर्देशों की पालना सुनिश्चित करने के उद्देश्य से समस्त परिवहन यानों के पंजीयन, पुनः पंजीयन, एसाइन्मेंट, स्वामित्व हस्तान्तरण करते समय एवं विशेष रूप से फिटनेस प्रमाण पत्र जारी/नवीनीकरण करते समय रेड्रो रिफ्लेक्टिव टेप की जांच आवश्यक रूप से की जावे एवं उचित मानक/गुणवत्ता की उचित डिजाईन व परिमाण एवं रंग की रेड्रो रिफ्लेक्टिव टेप के अभाव में किसी भी परिवहन यान का पंजीयन, पुनः पंजीयन, एसाइन्मेंट, स्वामित्व हस्तान्तरण एवं फिटनेस प्रमाण पत्र जारी/नवीनीकरण करने का कार्य संपादित नहीं किया जावे। प्रवर्तन कर्मियों द्वारा चैकिंग के दौरान उक्त प्रावधानों के अनुरूप रेड्रो रिफ्लेक्टिव टेप नहीं लगे होने की स्थिति में परिवहन यानों के फिटनेस प्रमाण पत्र निरस्त करने की नियमानुसार कार्यवाही करेंगे।

भविष्य में किसी वाहन का संचालन उपरोक्त प्रावधानों/निर्देशों की अवहेलना करते हुए पाया गया तो पर्यवेक्षणीय लापरवाही मानते हुए संबंधित जिला परिवहन अधिकारी के विरुद्ध भी कार्यवाही प्रारम्भ की जावेगी। उपरोक्त प्रावधानों/आदेशों के विपरीत वाहन को फिटनेस प्रमाण पत्र जारी करने वाले जिला परिवहन अधिकारी/निजी फिटनेस सेन्टर्स को भी जिम्मेदार मानते हुए उनके विरुद्ध कठोर कार्यवाही अमल में लाई जावेगी।



(रवि जैन)

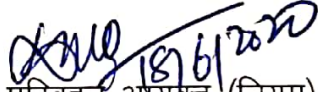
शासन सचिव एवं परिवहन आयुक्त

क्रमांक: एफ 7(418)(1)परि/नियम/मु./2011/9137-46

जयपुर, दिनांक: 18/6/2020

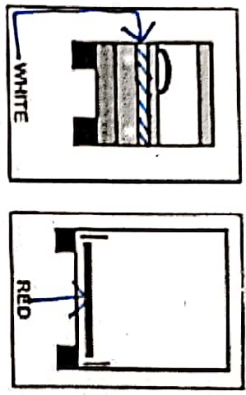
प्रतिलिपि निम्न को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित है:-

1. विशिष्ट सहायक, माननीय परिवहन मंत्री महोदय।
2. निजी सचिव, अतिरिक्त मुख्य सचिव, परिवहन।
3. निजी सचिव, शासन सचिव एवं परिवहन आयुक्त।
4. समस्त मुख्यालय अधिकारीगण, परिवहन मुख्यालय, जयपुर।
5. समस्त प्रादेशिक/अतिरिक्त प्रादेशिक/जिला परिवहन अधिकारी।
6. सिस्टम एनालिस्ट को विभागीय वेबसाईट पर अपलोड करने हेतु।
7. समस्त निजी फिटनेस सेन्टर्स को पालनार्थ।
8. Avery Dennison (India) Pvt. Ltd., Narsinghpur industrial area, six kilometer Stone, Delhi Jaipur Highway, District Gurgaon 122001, Harayana.
9. 3M India Ltd, Plot No. 48-51, Electronics city ,Hosur Road , Bangalore-560100
10. M/s ORAFOL Europe GmbH, F-29, Riico Industrial Area, Bagru, Jaipur- 303007.
11. रक्षित पत्रावली।


अपर परिवहन आयुक्त (नियम)

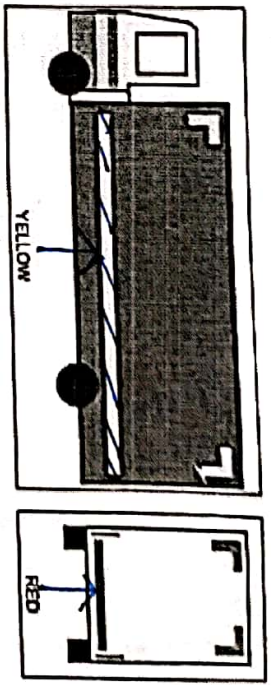
25/80

(N1) GC upto 3.5T
(N2) GC: 3.5 ~ 5T
(N2) GC: 5 ~ 7.5T



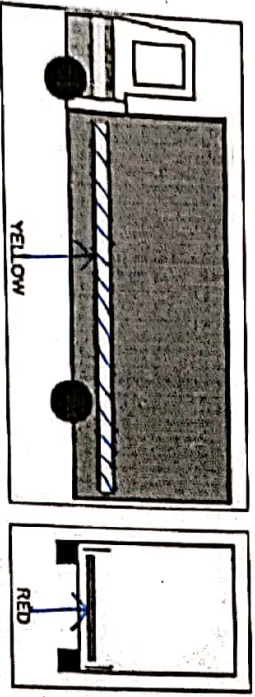
✓

(N2 + N3) GC: 7.5 and above
including trailers or semi-trailers



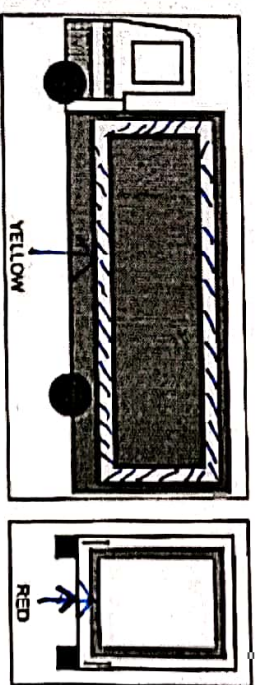
✓

(N2 + N3) GC: 7.5 and above
including trailers or semi-trailers



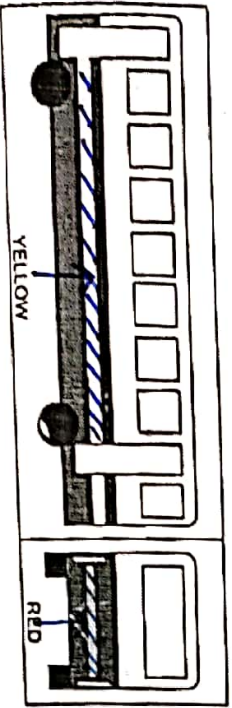
X

(N2 + N3) GC: 7.5 and above
including trailers or semi-trailers



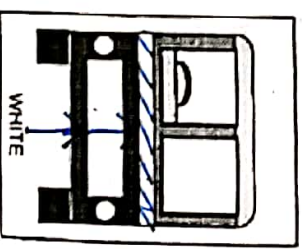
✓

(M2 + M3) Passenger Carriage
comprising nine or more seats in
addition to driver's seat



✓

All Goods Carriers & Passenger
Carriers in these catagories



✓